न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या :— 50/2021

देवी सहाय पुत्र सुरजा जाति मीणा आयु 80 वर्ष निवासी ढाणी खारडा मौहल्ला बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
2. नगरपालिका मण्डल कोटपूतली जरिये अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 30/6/2016 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

निर्णय दिनांक 15.12.2021

अपीलान्ट ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 30/6/2016 द्वारा तहसीलंदार कोटपूतली से व्यथित होकर उक्त नामा. के विरूद्व अपील पेश की गयी है जिसके संक्षेप में वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश हैं :—

1. यह है कि आराजी हाल ख.नं. 360/2.10 वाके मौजा बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है, जिसके हिस्सा 7/24 का अपीलान्ट बतौर खातेदार काबिज काश्तकार है।
2. यह है कि अपीलान्ट ने ख.नं. 360/2.10 में अपना हिस्सा 7/24 का तकास्मा करवाने हेतु वाद पत्र व प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है। इस खसरा नम्बर बाबत प्रा.पत्र 212 आर.टी एक्ट देवी सहाय बनाम सायरा व अन्य प्रार्थना–पत्र संख्या 215/015 दिनांक 20/6/2018 को निर्णित किया जा चुका है । इसी प्रार्थना–पत्र में दिनांक 09/5/2016 को रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिती बाबत आदेश प्रभावी था।
3. यह है कि इसी भूमि बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 219/2015 दिनांक 29/01/2021 को प्राथमिक डिकी किया जा चुका है, जिसके खिलाफ प्रतिवादीगण् ने न्यायालय आर.ए.ए जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है, जो आज भी विचाराधीन है। इसलिए अपीलान्ट अपनी भूमि का तकास्मा कराने के लिए प्रयासरत

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

है। अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि का रहन बेचान नहीं किया है। आज भी अपने हिस्से की भूमि में निर्विवाद रूप से खेती बाडी का काम कर रहा है।

4. यह है कि दिनांक 12/10/2021 को राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नामा. की नकल लेने से अपीलान्ट को जानकारी हुयी कि प्राधिकृत अधिकारी दिनांक 15/3/2016 के आदेश व तहसीलदार कोटपूतल के आदेश आर.एन.टी/2016/118 दिनांक 13/4/2016 के आधार पर नामा.सं. 2835 दर्ज कर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया किसी भी खसरा नम्बर के आंशिक हिस्से के खिलाफ धारा 90(ए) के तहत् कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

5. यह है कि अपीलान्ट को तहसील कार्यालय व नगरपालिका से आज तक कोई नकल प्राप्त नहीं हुयी है, जिससे यह जानकारी हो सके कि किस आधार पर उक्त भूमि अपीलान्ट के स्थान पर नगरपालिका रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या एक द्वारा दर्ज की है।

6. यह है कि अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि को धारा 90(ए) के तहत् कार्यवाही करने हेतु किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया है ना ही अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया है फिर भी अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को बिना सूचना के रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दर्ज कर दी गयी, जबकि अपीलान्ट ने ना तो पट्टा लेने के लिए आवेदन किया है ना ही पट्टा लेना चाहता है।

7. यह है कि अपीलान्ट के खिलाफ कोई भी निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया माना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त विवादित निर्णय प्रार्थी को बिना सूचना दिये उसकी अनुपस्थिझति में पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

8. यह है कि नामा.सं. 2835 में पारित निर्णय दिनांक 30/6/2016 से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है उसकी बेस किमती भूमि का हिस्सा समाप्त हो गया है, जिसे निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के अधिकारों को सुरक्षित करने हेतु विवादित निर्णयों को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

9. यह है कि उक्त नामा. की जानकारी को अपीलान्ट को पहली बार 12/10/2021 को हुयी। इससे पहले उक्त नामा. की जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही बिना देरी किये श्रीमान् अदालत के समक्ष अपील पेश कर दी है। अपीलान्ट को जानकारी दिनांक 12/10/2021 से पूर्व की देरी की जानकारी अभाव में कन्डोन किये जाने बाबत अलग से प्रार्थना-पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम अपील के संलग्न है।

10. यह है कि अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली के नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 30/6/2016 को निरस्त फरमाया जाकर वर्तमान हाल ख.नं. 360/2.10 वाके मौजा बासडी तहसील कोटपूतली में अपीलान्ट का हिस्सा 7/24 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की बजाये अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जावें।

11. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण दर्ज-रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् की तल्बी हेतु नियमानुसार

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर उनके वकील श्री सुरेश कुमार सैनी एडवोकेट उपस्थित आये तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से जवाब पेश हुआ जो संलग्न पत्रावली किया गया।

12. वकील अपीलान्ट ने दिनांक 18/11/2021 को एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी का बाबत किसी भी ख.नं. के आंशिक हिस्से के खिलाफ 90(ए) के तहत् कार्यवाही नहीं की जा सकती अंकन जोडे जाने की अनुमति दी जाने का पेश किया जो उक्त प्रार्थना–पत्र पर विधिवत सुनवायी कर दिनांक 02/12/2021 स्वीकार हुआ तथा उसके उपरान्त वकील अपीलान्ट ने दिनांक 15/12/2021 को संशोधित टाईटल पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

13. बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि आराज़ी ख.नं. 360/2.10 हैक्टर ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली में स्थित है, जिसके 7/24 का अपीलान्ट खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से पर अन्य सह खातेदार काबिज काश्तकार है। इस भूमि बाबत न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 219/2015 दिनांक 29/01/2021 को प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है, जिसके खिलाफ प्रतिवादीगण् द्वारा न्यायालय आर.ए.एस जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तु कर दी है, जो विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलान्ट अपनी भूमि का तकास्मा कराने के लिए प्रयासरत है। उक्त भूमि किसी को बेचान नहीं किया है तथा निरन्तर काश्त कर रहा है। अपीलान्ट को नामा.सं. 2835 की नकल एवं राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी की नकल दिनांक 21/10/2021 को लेने से जानकारी हुयी कि प्राधिकृत अधिकारी के आदेश 15/3/2016 व तहसीलदार कोटपूतली के आदेश कमांक आर.एन.टी/2016/118 दिनांक 13/4/2016 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में नामा.सं. 2835 दर्ज कर दिया, जो किसी भी ख.नं. के आंशिक हिस्से की 90(ए) के तहत् कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जबकि अपीलान्ट द्वारा 90(ए) के तहत् कार्यवाही कराने हेतु कभी भी किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं किया गया है ना ही अपने हिस्से की भूमि का पट्टा लेने का आवेदन किया है बिना ही बिना सूचना के अपीलान्ट की अनुपस्थिति में सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये। उक्त नामा.सं. 2835 रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है, जो निरस्तनीय किया जावें। उक्त नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 30/6/2016 से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। अपीलान्ट को उक्त नामा. बाबत जानकारी पहली बार 12/10/2021 को हुयी। इससे पूर्व अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी इससे पूर्व की जानकारी के अभाव में प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम दफा–5 का प्रार्थना–पत्र संलग्न है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली के नामा.सं. 2835 निर्णय दिनांक 30/6/2016 को निरस्त फरमाया जाकर हाल ख.नं. 360/0.10 वाके मौजा बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान में अपीलान्ट का हिस्सा 7/24 को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की बजाये अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

14. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के वकील द्वारा प्रस्तुत बहस में जाहिर किया है कि अपीलान्ट के द्वारा अपने हिस्से की भूमि की 90(ए) की कार्यवाही कराने के लिए आवेदन किया जाने पर ही 90(ए) की कार्यवाही होकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में उक्त नामा. 2835 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली दिनांक 30/6/2016 को स्वीकार किया है, जो नियमानुसार कार्यवाही होकर उक्त नामा. से रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में भूमि आयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वकील द्वारा यह भी जाहिर किया है कि आ.ख.नं. ग्राम बासडी बाबत पालिका के आदेश क्रमांक 1939 दिनांक 15/3/2016 को 90क के अधिन अनुज्ञा–पत्र जारी किया था, जिसकी पत्रावली व रिकॉर्ड शाखा से जानकारी करने पर उक्त आदेशों की काफी उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस बाबत दस्तावेज की सूची के साथ नगरपालिका मण्डल कोटपूतली की आदेशिक एवं तहरीर अधिशाषी अधिकारी पेश है।

15. बहस उभय पक्ष सुनी गयी । पत्रावली पर राजस्व रिकॉर्ड, साक्ष्य सबूतों का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली के आराजी ख.नं. 360 रकबा 2.10 हैक्टर प्राधिकृत अधिकारी 15/3/2016 एवं आदेश तहसीलदार कोटपूतली के क्रमांक/RNT/2016/118 दिनांक 13/4/2016 90(ए) के आदेशों से नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम नामा0 सं0 2835 भरा जाना पाया गया। तहसीलदार कोटपूतली ने उक्त नामा. बाबत अंकन किया गया कि आज दिनांक 30/6/2016 को नामा. पेश हुआ। नगरपालिका के आदेश में देवीसहाय पुत्र सुरजा के हिस्से को 90(ए) किया है। पटवारी हल्का ने सम्पूर्ण खातेदारान् का दर्ज किया है। अतः देवी सहाय पुत्र सुरजा का हिस्सा 7/24 नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के नाम स्वीकार किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा का अंकन किया जाना पाया गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा कभी भी किसी प्रकार की 90(ए) की कार्यवाही बाबत कोई आवेदन नहीं किया । प्राधिकृत अधिकारी के आदेश 15/3/2016 व तहसीलदार कोटपूतली के आदेश RNT/2016/118 दिनांक 13/4/2016 के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामा.सं. 2835 दर्ज कर दिया जो किसी भी ख.नं. के आंशिक हिस्से की 90(ए) के तहत् कार्यवाही नहीं होती है ना ही अपीलान्ट द्वारा 90(ए) के बाबत कोई आवेदन किया है। अपीलान्ट को बिना सूचना के उनकी अनुपस्थिती में रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में उक्त नामा. दर्ज किया है, जो विधि विरूद्व है। उक्त नामा. से अपीलान्ट के खातेदारी अधिकार प्रभावित हो रहे है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जावें तथा नामा.सं. 2835 वाके ग्राम बासडी तसहील कोटपूतली को निरस्त फरमावें एवं हाल ख.नं. 360/2.10 वाके मौजा बासडी तहसील कोटपूतली में अपीलान्ट का हिस्सा 7/24 दर्ज करने का आदेश प्रदान करें

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने प्रस्तुत बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का खण्डन करते हुए अभिकथन किया है कि अपीलान्ट के द्वारा अपने हिस्से की भूमि की 90(ए) कार्यवाही कराने के लिए आवेदन किया जाने पर ही 90(ए) की कार्यवाही होकर रेस्पोडेन्ट संख्या एक ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में उक्त नामा. 2835 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली का तहसीलदार द्वारा दिनांक 30/6/2016 को स्वीकार किया है। पालिका के आदेश क्रमांक

1939 दिनांक 15/3/2016 के द्वारा 90(ए) के अधिन अनुज्ञापत्र जारी किया गया था इस सम्बन्ध में मूल पत्रावली रिकॉर्ड दस्तावेजात् आदि उपलब्ध नहीं हो रहे है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा आवेदन करने पर ही उनके हिस्से की 90(ए) की कार्यवाही होकर नगरपालिका के नाम भूमि आयी है, जिसको श्रीमान् न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमावें।

चूँकि तहसीलदार कोटपूतली ने दिनांक 30/6/2016 को अपीलान्ट का हिस्सा 7/24 नगरपालिका मण्डल के नाम आ.ख.नं. 360 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली का स्वीकार किया है तथा शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा का नामा.सं. 2835 पर अंकन किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के वकील द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजात् प्रस्तुत कर यह साबित नहीं कर पाया कि अपीलान्ट द्वारा नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के यहां 90(ए) की कार्यवाही कराने के लिए आवेदन किया है। नगरपालिका मण्डल कोटपूतली के यहां 90(ए) की अनुज्ञापत्र पत्रावली व दस्तावेजात् वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपलब्ध नहीं होना बताया है। इस सम्बन्ध में नगरपालिका के आदेशिका की फोटो प्रति पेश की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा 90ए की कार्यवाही हेतु कोई किसी प्रकार का आवेदन नहीं किया है। इसलिए अपीलान्ट की खातेदारी प्रभावित होने के कारण इस न्यायालय हाजा में अपील पेश की है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा अपीलान्ट द्वारा करायी गयी 90ए की कार्यवाही के सम्बन्ध में साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात् पेश नहीं कर पाये, इसके अभाव मे अपील खारिज किया जाना न्याय संगत नहीं है। अपीलान्ट को 90ए की कार्यवाही के सम्बन्ध में समुचित सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया। इसलिए जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है तथा नामा.सं. 2835 को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना उचित है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामा.सं. 2835 वाके ग्राम बासडी तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को अपास्त किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 360/2.10 है0 वाके मौजा बासडी तहसील कोटपूतली में अपीलान्ट का हिस्सा 7/24 दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

17. यह निर्णय आज दिनांक 15.12.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)